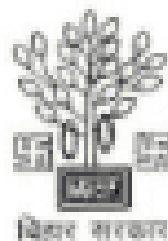


डॉ० एस० सिद्धार्थ, ए० ए०

असल मुख्य सचिव
शिक्षा विभाग,
बिहार सरकार



विद्यार्थी भवन, पटना - 800 015
फ़ोन : 0612 - 2217016 (कमललय)
फैक्स : 0612 - 2235108
ई-मेल : secy-edn-bih@govt.bh

पत्रांक-13/वि० 03-01/2016-327 /

पटना, दिनांक-11-04-2025

सेवा में

सभी जिला पदाधिकारी,
बिहार।

विषय :- राज्य स्कीम महादलित, दलित एवं अल्पसंख्यक अतिपिछड़ा वर्ग अक्षर औषल योजना के तहत शिक्षा सेवक/शिक्षा सेवक (तालीमी मरकज) के चयन के सम्बन्ध में।

प्रसंग :- विभागीय पत्रांक-1284 दिनांक-24.07.2023 एवं प्रथम स्मार 35/गौ० दिनांक-03.08.2024

महोदय,

उपरोक्त विषयक प्रसंगाधीन पत्र (आवृत्ति संलग्न) के द्वारा राज्य स्कीम महादलित, दलित एवं अल्पसंख्यक अतिपिछड़ा वर्ग अक्षर औषल योजना के तहत जिलों में शिक्षा सेवक/शिक्षा सेवक (तालीमी मरकज) के रिक्त पदों पर शिक्षा सेवकों का चयन करने हेतु बर्क कैलेण्डर तैयार कर उपलब्ध कराया गया था। परन्तु अभी भी कतिपय कारणों से विभिन्न जिलों में शिक्षा सेवक/शिक्षा सेवक (तालीमी मरकज) का चयन की प्रक्रिया पूरी नहीं की गई है।

जिला स्तर पर शिक्षा सेवक/शिक्षा सेवक (तालीमी मरकज) की रिक्ति से सम्बन्धित प्रासंगिक पत्र के द्वारा उपलब्ध कराए गए जिलावार विवरणी के अनुसार (जिस रिक्त पदों पर चयन की जा चुकी है को छोड़कर) जिला स्तर पर जितने सामान्य जाति के शिक्षा सेवक (तालीमी मरकज) को हटाया गया है तथा ऐसे अन्य सभी मामले जिनमें चयन/सेवामुक्ति से सम्बन्धित विवाद विचारण हेतु माननीय उच्च न्यायालय या अन्य सक्षम प्राधिकार के सम्मुख लम्बित है उतने बादों एवं स्थान को सुरक्षित रखते हुए उक्त विवरणी के आलोक में जिला स्तर पर शेष रिक्त 2200 शिक्षा सेवक/शिक्षा सेवक (तालीमी मरकज) (रिक्ति का विवरण संलग्न) का चयन मार्गदर्शिका 2018 में दिए गए निर्देश के आलोक में किया जाए। साथ ही यह सुनिश्चित किया जाएगा कि निर्धारित लक्ष्य अनुरूप ही शिक्षा सेवक/शिक्षा सेवक (तालीमी मरकज) का चयन हो।